उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.
१७, गोखले मार्ग, लखनऊ

पत्रांक : ५१४२ /४–लेखा/२००४–०५/अन्नपूर्णा पत्रावली दिनांक : २५.०६.०४

समस्त,

खाद्य प्रबन्धक (लेखा)/प्रभारी (लेखा)
उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०

विषय : शासन की नयी नीति के अनुसार प्रत्येक ब्लाक गोदाम ''राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से खाता खुलवाने एवं स०स०ग० विक्रेताओं से बैंकर्स चेक/पे–आर्डर/एकाउन्ट पेयी चेक जमा कराये जाने विषयक।

उपरोक्त विषयक शासन के आदेश संख्या– ४२२७/२६–६–०३–२६६–(स.)/०३ दिनांक १५.१.०४ तथा शासनादेश संख्या–२२६३/२६–६–०४–२६६(स)/०३ दिनांक ३० जुलाई, २००४ तथा मुख्यालय के आदेश संख्या ६४५६/४–लेखा/क्रय विपणन/२००३–०४ दिनांक १२.३.०४ का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार माह मार्च, २००४ से स०स०ग० विक्रेताओं से खाद्यान्न/चीनी की धनराशि बैंकर्स चेक से जमा कराने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

उक्त विषयक निम्नांकित निर्देश दिये जाते हें–

प्रत्येक अवस्था में अब बैंकर्स चेक/पे–आर्डर से ही स०स०ग० दुकानदारों से चीनी/खाद्यान्न की धनराशि जमा करायी जाय, किसी भी दशा में ड्राफ्ट से धनराशि जमा नहीं करायी जाय।

सहायक प्रबन्धक (लेखा)/प्रभारी(लेखा) तत्काल प्रत्येक ब्लाक गोदाम में वहाँ के किसी राष्ट्रीकृत, जिसकी शाखा जिला मुख्यालय पर भी हो, अथवा लीड बैंक में ''राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' के नाम से एक कलेक्शन खाता खुलवाये/जिसमें गोदाम से सम्बद्ध समस्त उचित दर विक्रेताओं से प्राप्त पे–आर्डर बैंकर्स चेक जमा किये जाये।

समस्त सम्बन्धित स०स०ग० विक्रेता अपने चालू छाते से बैंकर्स चेक/पे–आर्डर/एकाउन्ट पेयी चेक प्राप्त करने हेतु निगम के ब्लाक प्रभारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र पर स०स०ग० विक्रेता के हस्ताक्षर पुनः निगम के ब्लाक प्रभारी द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे।

निगम के सहायक प्रबन्धक (लेखा)/प्रभारी(लेखा) जनपद स्तर पर खुले खातों में से किसी एक खाते का इस्तेमाल पूर्णतया ब्लाक गोदामों से खाद्यान्नों/चीनी की प्राप्त धनराशि के संचालन के लिए ही करेंगे। उक्त खाता, ''कलेक्शन एकाउन्ट'' के नाम से संचालित किया जायेगा जिसमें ब्लाकों से प्राप्त समस्त धनराशि जमा की जायेगी तथा उस राशि में से मार्जिन मनी निकाल कर जनपदीय स्तर पर, ''एक्स्पण्डीचर एकाउन्ट'' के नाम से अन्य खाता खोलकर अथवा पूर्व से खुले किसी अन्य खाते में स्थानान्तरित कर उक्त खाते से मुख्यालय की स्वीकृति उपरान्त ही जनपद के अन्य व्यय नियमानुसार किये जायेंगे। कलेक्शन खाते से केवल खाद्यान्न/चीनी के उठान हेतु रिलीज आर्डर बनवाने हेतु ही धनराशि आहरित की जायेगी। इस खाते से अन्य कोई भी व्यय पूर्व रूप से वर्जित होगा।

इस प्रकार जनपद स्तर पर मात्र दो खाते ही संचालित किये जायेंगे तथा शेष अन्य खाते यदि कोई चालू हो तो तत्काल उन्हें बन्द कर दिया जाये।

ब्लाक गोदामों पर संचालित चालू खातों से सप्ताह में एक बार न्यूनतम धनराशि छोड़कर शेष धनराशि आन्तरिक बैंक स्थानान्तरण द्वारा जनपद मुख्यालय के संबंधित बैंक में कलेक्शन खाते में स्थानान्तरण की जायेगी। उक्त धनराशि आन्तरिक स्थानान्तरण करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जितनी मात्रा के आर०ओ० सम्बन्धित ब्लाक के बनने हो उतनी मात्रा के ड्राफ्ट सम्बन्धित एजेन्सी, के नाम ब्लाक स्तर के बैंक से सीधे बनवाकर जनपद मुख्यालय पर मंगा लिये जाये तथा उनके लेखों में आवश्यक प्रविष्टि अंकित करते हुए उनका आर०ओ० सम्बन्धित एजेन्सी से प्राप्त कर लिया जाये। ब्लाक गोदाम के खातों में आर०ओ० के पश्चात् अवशेष मार्जिन धनराशि का ड्राफ्ट पथक से बनवाकर जनपद स्तरीय एक्सपेन्डीचर एकाउन्ट में जमा कराया जायेगा और इस धनराशि से विविध व्यय किये जायेंगे। तथा नियमित राशि मुख्यालय भेजी जायेगी।

ब्लाक गोदामों के बैंक खातों से साप्ताहिक रूप से जनपदीय खातों में धनराशि स्थानान्तरण हेतु सहायक प्रबन्धक (लेखा)/प्रभारी(लेखा) सम्बन्धित गोदाम प्रभारी को अधिकृत करेंगे तथा गोदाम प्रभारी प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम धनराशि छोड़कर शेष धनराशि के बैंक ड्राफ्ट जो जनपद मुख्यालय पर देय होंगें, उपरोक्त निर्देशानुसार बनवाकर सहायक प्रबन्धक(लेखा)/प्रभारी(लेखा) को उपलब्ध करायेंगे। गोदाम प्रभारियों का यह भी दायित्व निर्धारित किया जाये कि किसी भी स्थिति में न्यूनतम धनराशि से अधिक धनराशि बैंक खातों में अवशेष न रहे तथा एक सप्ताह से अधिक धनराशि किसी भी दशा में बैंक में लम्बित न रहने पाये।

जनपद मुख्यालय पर उक्त दोनों खातों का संचालन सहायक प्रबन्धक(लेखा)/प्रभारी (लेखा) तथा सहायक लेखाकार के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

जनपद के समस्त बैंक खातों का बैंक समाधानीकरण अनिवार्यतः प्रत्येक माह की ५ तारीख तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जनपद स्तर पर समस्त ब्लाक गोदामों तथा जनपदीय स्तर के बैंक खातों के संचालन बैंक समाधानीकरण आदि अन्य प्रक्रियाओं में किसी भी त्रुटि के लिये सहायक प्रबन्धक (लेखा)/प्रभारी(लेखा) व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(विनय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित—

१. समस्त जिला प्रबन्धक /जिला प्रभारी
२. समस्त ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक/सम्प्रेक्षक
३. समस्त मण्डलीय प्रबन्धक
४. निगम मुख्यालय के समस्त अधिकारी
५. समस्त सम्बन्धित बैंकों के शाखा प्रबन्धकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करवाते हुये निगम क खाते खोलने का कष्ट करें।

(डा. श्रीराम त्रिपाठी)
वित्त नियंत्रक